

**ग्राम पंचायत कटराई, विकास खण्ड नगगर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेंक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग—एक

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेंक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कटराई, विकास खण्ड नगगर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेंक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेंक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

(i) प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री सतीश चन्द	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्रीमती गुलाबी देवी	23.1.2016 से लगातार

(ii) सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री होतम राम	1.4.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत कटराई के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेंक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण भारी अन्तर	0.33
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	5.62
3	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए स्टॉक/स्टोर का क्रय	6.69
4	9	अनुदान राशि का अवरोधन	44.07

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत कटराई, विकास खण्ड नगगर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2017 से 1.11.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 9/14, 07/15 तथा 4/16 व 3/15, 6/15 तथा 3/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत कटराई, विकास खण्ड नगगर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या VD(211)/2017-134 दिनांक 31.10.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कटराई से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत कटराई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:—

(i) स्वः स्रोत व अनुदान:— ग्राम पंचायत कटराई के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है:—

(i) बैंक पास बुकों के अनुसार:- (परिशिष्ट-1)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	2058651.10	4371760	81758	6512169.10	4124370	2387799.10

(ii) रोकड़ बहियों के अनुसार:- (परिशिष्ट-2 (क))

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	2383598.50	3855580	90771	6329949.50	2933356	3396593.50
2016-17	3396593.50	4904893	99572	8401058.50	3993907	4407151.50

(2) मनरेगा:- (परिशिष्ट-2 (ग))

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-15	शून्य	120240	375	—	610256	—
2015-16	—	—	—	—	296346	—
2016-17	—	—	—	—	521390	शून्य

4.1 31.3.17 को विभिन्न बैंकों में जमा शेष राशियों का विवरण:-

Sr.No.	Account No.	Bank	Amt.
1	11327166523	SBI	174869.60
2	11327197074	SBI	1775.35
3	20077008274	KCC	1561887.50
4	65265850555	SBI	2636105.00
5	2007008604	KCC	-
		total	4374637.45

(i)	Closing Balance as per financial Position as on 31.3.17	4407151.50
(ii)	Closing Balance as per Bank Accounts as on 31.3.17 (As per Annexure-7)	4374637.45
(iii)	Difference	32514.05

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.33 लाख का भारी अन्तर:—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 की रोकड़ बही में नियम 7 (3) के अनुसार अन्तिम शेष की गणना भी नहीं की गई थी। रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹32514.05 का अन्तर है जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4.1 में उल्लेखित है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10(1) के अनुसार रख-रखाव करके व बैंक खातों के साथ मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के अन्तशेष ₹2387799.10 को वर्ष 2015-16 के अथशेष के रूप में ₹2383598.50 ली गई जोकि ₹4200.60 कम ली गई है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा वर्ष 2014-15 की रोकड़ बही भी तैयार की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.3 स्व: स्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरण:—

ग्राम पंचायत कटराई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व: स्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-4 (क से घ) में दिया गया है।

5 अनुदानों के लिए एक ही बैंक खाते का रख रखाव करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(1) 5-47005-81 दिनांक 15.2.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत को विभिन्न प्राप्त अनुदानों के लिए पृथक-2 बैंक खाते का रख रखाव करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कटराई ब्लाक नगगर के लेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के लिए केवल एक बैंक

खाता संख्या 20077008274 का ही उपयोग किया जा रहा है जोकि उक्त पत्र संख्या के विपरीत है। अतः भविष्य में पत्र संख्या PCH-HA (5) C(15)-13 (1)5-47005-81 दिनांक 15.2.12 के अनुसार प्रत्येक योजना/अनुदान के लिए पृथक-पृथक बैंक खाते का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन फार्म-11 में तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म-11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹5.62 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध संलग्न परिशिष्ट-5 के अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व की ₹562355 वसूली हेतु शेष थी:—

(i) गृहकर:— परिशिष्ट-5

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014-15	111310	49100	160410	3775	156635
2015-16	156635	49100	205735	18760	186975
2016-17	186975	49100	236075	35470	200605

(ii) भवनों/दुकानों से किराया:—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014-15	321645	273360	595005	221675	373330
2015-16	373330	273360	646690	307625	339065
2016-17	339065	316560	655625	299375	356250

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

(iii) मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करना:—

सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या पी0सी0 एच/एच0ए0(2)/8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित

मोबाईल टावर से ₹4000 स्थापना शुल्क व ₹2000 प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क प्रति टावर प्राप्त करने का अधिकार है तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद नवीनीकरण शुल्क में 25% की वृद्धि करने का अधिकार है। अंकेक्षण अवधि में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 तक पंचायत को टावर कम्पनी से संलग्न **परिशिष्ट-5** के अनुसार ₹5500 की वसूली करनी शेष थी। अतः उपरोक्त रजिस्टर का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए तथा दिनांक 31.3.17 तक वसूली हेतु कुल राशि की गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014-15	N.A.	2500	2500	2000	500
2015-16	500	2500	3000	—	3000
2016-17	3000	2500	5500	—	5500

नोट:- वसूली हेतु शेष राशि की गणना 1.4.14 से 31.3.17 तक

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹6.69 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात् निविदाएं आमन्त्रित करना आदि प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹668734 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹44.07 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "2 (क)"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹4407151 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ सरकारी

योजनाओं के ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि के विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register
2	Work Register
3	Bill Register
4	Mobile Tower Demand & Collection Register
5	Cheque issue/Receipt Register
6	Temporary Advance Register

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किया बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार कार्यों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन जाँच हेतु पंचायत में उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्न कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

क्र०सं०	अनुदान	कार्य का नाम	व्यय माह	व्यय राशि (₹)
1	MPLADA	निर्माण गरु सदन सुरक्षा दिगर	3/2015	202846
2	LADA	निर्माण सुरक्षा दिगर आंगन सराई को पूर्ण करना	3/2017	75000

12 ₹2.000 लाख के भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद प्राप्त न करने बारे:-

अंकेक्षण अवधि में रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 81 दिनांक 11.3.15 की जाँच में पाया गया कि अनुदान VMJS के अन्तर्गत खाता निर्माण सामुदायिक भवन नजदीक गौहरी गाँव कटराई के निर्माण हेतु सामुदायिक भवन निर्माण कमेटी को वाउचर संख्या 242 माह 3/15 के अनुसार ₹200000 का भुगतान किया गया। परन्तु इस भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद (APR) सामुदायिक भवन निर्माण कमेटी से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

13 सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना पशुपालक सहायक को ₹0.24 लाख के मानदेय देने बारे:-

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹24000 का भुगतान पशुपालक सहायक को किया गया जबकि मानदेय भुगतान अवधि की सत्यापित उपस्थिति विवरणी वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी। अतः मानदेय भुगतान अवधि की उपस्थिति विवरणी के बिना भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके व सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रोकड़ बही पृ०सं०	वा०सं०	पशुपालक सहायक का नाम	अवधि	राशि (₹)
1	87/25.3.15	—	श्री छेरिंग किन्जोम	1.1.15 से 28.2.15	10000
2	84/20.3.17	244	—यथोपरि—	1.1.17 से 28.2.17	14000
कुल					₹24000

14 मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रोल को पूर्ण न करने बारे:-

ग्राम पंचायत कटराई के अंकेक्षण अवधि के मनरेगा के मस्ट्रोल की जाँच करने पर पाया गया निम्नविवरणानुसार जारी मस्ट्रोल में कार्यरत आवेदकों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ही राशि का भुगतान किया गया था। अतः मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना राशि का भुगतान

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपूर्ण मस्ट्रोल को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में कार्य हेतु जारी मस्ट्रोल को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रोकड़ बही पृ०सं०	मस्ट्रोल सं०	अवधि	कार्य का नाम
1	71/28.3.17	4432	1.3.17 से 15.3.17	खाता निर्माण क्रेट वाल ब्यास नदी जटेढ़ बिहाल
2	71/28.3.17	4439	1.3.17 से 15.3.17	खाता निर्माण जल संग्रहण टैंक

15 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

16 निष्कर्ष:— ग्राम पंचायत कटराई के लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल०ए०)एच(पंच)15(3) 23/2018-खण्ड-1-2477-2480 दिनांक
09.04.2018 शिमला-171009,

—प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगगर जिला कुल्लू हि०प्र०
- पंजीकृत** 4 सचिव, ग्राम पंचायत कटराई, विकास खण्ड नगगर, जिला कुल्लू, (हि०प्र०), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881